मध्यप्रदेश शासन
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं प्रशिक्षण विभाग

क्रमांक सी. 5-3/87/3/1 भोपाल, दिनांक 9 सितम्बर, 1987

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश ग्वालियर,
समस्त आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश.

विषय.—मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग के वर्ष 1985-86 के 29 वें वार्षिक प्रतिवेदन के बिन्दु क्रमांक 94-97 में की गई विभागीय जांच संबंधी टीकायें एवं सुझाव.

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपने 29 वें वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1985-86 में, विभागों/अनुशासिक प्राधिकारियों से प्राप्त विभागीय जांच/अपील के प्रकरणों में दृष्टिगत हुई कुछ कमियों/त्रुटियों अथवा पूरी नहीं की गई अनिवार्य औपचारिकताओं पर टीकायें की हैं एवं सुझाव भी दिये हैं. प्रतिवेदन में उल्लेखित इन टीकाओं एवं सुझावों से संबंधित बिन्दु क्र. 94 से 97 तक का उद्धरण संलग्न करते हुए उल्लेख है कि इस संबंध में शासन द्वारा पूर्व में ही मार्जिन में अंकित ज्ञापनों के माध्यम से सुस्पष्ट निदेश प्रसारित किये गये हैं. परन्तु इसके बावजूद भी उक्त टीकाओं से ऐसा आभास होता है कि इन निर्देशों के परिपालन में तत्परता नहीं बरती जा रही है.

1. ज्ञापन क्रमांक 309/829/1 (3) 82, दिनांक 19-4-82

2. ज्ञापन क्रमांक 146/499/1 (3) 82 दिनांक 25-2-83

3. क्रमांक सी/6-7/3/1 दिनांक 25-8-84

4. ज्ञापन क्रमांक सी. 6-6/86/3/1 दिनांक 6-11-86

2. अतः सभी संबंधितों से अपेक्षा है कि शासन के मार्जिन में अंकित ज्ञापनों के प्रावधानों तथा आयोग द्वारा व्यक्त किये गये सुझावों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित किया जाय.

संलग्न : उपरोक्तानुसार.

हस्ता./-
(के. एन. श्रीवास्तव)
उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं प्रशिक्षण विभाग.

पृ. क्रमांक सी. 5-3/87/3/1 भोपाल, दिनांक 9 सितम्बर, 1987

प्रतिलिपि.—

1. निबंधक, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर.
लोकायुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल.
सचिव, लोक सेवा आयोग, म. प्र. इन्दौर
सचिव, कनिष्ठ सेवा चयन मंडल, म. प्र. भोपाल.

2. राज्यपाल के सचिव, म. प्र. राजभवन, भोपाल.
सचिव, विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश, भोपाल.

3. मुख्य मंत्रीजी/समस्त मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण के निज सचिव/निज सहायक की ओर सूचनार्थ.

4. प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव/उपसचिव (समस्त) सा. प्र. वि.

5. अवर सचिव, स्थापना/अधीक्षण/अभिलेख शाखा/मुख्य लेखाधिकारी म. प्र. सचिवालय, भोपाल.

संलग्न : उपरोक्तानुसार.

हस्ता./-
(के. एन. श्रीवास्तव)
उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं प्रशिक्षण विभाग.

विषय.—मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग के 29 वें वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1985-86 के बिन्दु क्रमांक 94 से 97 तक का उद्धरण.

टीका (94) विभागीय जांच एवं अपील के प्रकरणों के परीक्षण में आयोग ने पाया कि बहुत से विभाग निर्धारित प्रपत्र में जानकारी उपलब्ध नहीं करते हैं. ऐसे प्रकरण आयोग द्वारा शासन को वापिस लौटाए जाते हैं. इससे विभागों से अकारण ही पत्र व्यवहार करना पड़ता है एवं प्रकरण निपटाने में विलम्ब होता है. अपचारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत कारण बताओ सूचना-पत्र के उत्तर तथा अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील पर स्थिति स्पष्ट करने वाली टीप, प्रकरण के साथ नहीं भेजी जाती है, जिससे उसे प्राप्त करने में व्यर्थ का ही पत्र व्यवहार और समय व्यतीत करना पड़ता है. इससे प्रकरणों का निराकरण यथा समय से नहीं हो पाता है.

सुझाव (95) अत: आयोग का आग्रह है कि विभागी जांच तथा अपील के प्रकरण आयोग को शासन की स्पष्टीकरणात्मक टीप, आवश्यक अभिलेख एवं निर्धारित प्रपत्र की जानकारी के साथ ही प्रकरण आयोग को भेजें ताकि प्रकरण का निराकरण शीघ्र हो सके.

टीका (96) विभागीय जांच के प्रकरणों का परीक्षण करते समय आयोग ने यह पाया कि जहां अपचारी अधिकारियों को वेतन वृद्धि रोकने का दण्ड प्रस्तावित किया जाता है, ऐसे प्रकरणों में शासन के विभाग यह नहीं दर्शाते हैं कि अपचारी अधिकारी की वेतन वृद्धियां रोकी जा सकती हैं या नहीं. आयोग ने ऐसे कुछ प्रकरणों के . . . . . जहां वेतनवृद्धि रोकने का दण्ड देने में अपनी सहमति व्यक्त की है ऐसे प्रकरणों में शासन ने आयोग की राय उन्हें प्राप्त होने पर परीक्षण किया और आयोग को यह सूचित किया कि प्रश्नाधीन विभागीय जांच के प्रकरणों में आयोग की सलाह अनुसार अपचारी अधिकारी अपने अधिकतम वेतन पाने के कारण वेतनवृद्धि रोकने की शास्ति उन पर अधिरोपित नहीं की जा सकती फलत: आयोग को प्रकरणों का पुन: परीक्षण करना पड़ा.

सुझाव (97) आयोग आग्रह करता है कि शासन ऐसा दण्ड प्रस्तावित करते समय यह सुनिश्चित कर ले कि अपचारी अधिकारी की वेतनवृद्धि दण्ड के स्वरूप रोकी जा सकती है या नहीं और तद्नुसार आयोग को सन्दर्भ करते समय सूचित किया करें.